पत्रांक ./.6.4 9 ./ एम एस कैम्प/20
दिनांक..... 1-8-19 ....

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2019 के अनुपालन की समीक्षा हेतु दिनांक 24.07.2019 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की उपस्थित की सूची संलग्न है।

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.05.2019 में दिये गये निर्देशों का सम्बंधित विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया जाना है तथा मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन को ओर से नियत तिथि 07.08.2019 से पूर्व शपथ पत्र मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया जाना है।

2— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन सम्बंधी तैयार की गयी स्टेटस रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया।

1. रनियॉ कानपुर देहात में डम्प हैजार्डस वेस्ट के निस्तारण एवं रेमिडियेशन हेतु डी0पी0आर0 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी है, जिसकी लागत के 60 प्रतिशत धनराशि रूपये 10309422+टैक्स के भुगतान हेतु राज्य सरकार से मांग की गयी है। डी0पी0आर0 की प्रति पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं पर्यावरण निदेशालय को प्रेषित की जा चुकी है। जिसके अनुसार प्रथम चरण में हैजार्डस वेस्ट डम्प को In-situ site पर उपचारित किया जाना है, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 23.44 करोड़ है। द्वितीय चरण में रूपये 226 करोड़ से Soil and Ground Water रेमिडियेशन का कार्य किया जाना है। डम्प साइट का क्षेत्रफल 3.75 हेक्टेयर है, जिसका अधिग्रहण भी किया जाना होगा। वर्तमान में राखीमण्डी मे हैजार्डस वेस्ट डम्प नहीं है तथा भूगर्भीय जल के रेमिडियेशन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डी0पी0आर0 तैयार की जानी है।

2. गंगा नदी में ई—फ्लो बनाये रखने हेतु जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 09.10.18 को जारी किया गया है जिसके अनुसार सिंचाई विभाग द्वारा गंगा नदी में न्यूनतम ई—फ्लो बनाये रखने हेतु बैराज से जल छोड़े जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा एन0एम0सी0जी0 एवं केन्द्रीय जल आयोग को प्रतिदिन आंकडे प्रेषित किये जा रहे हैं।

3. उत्तराखण्ड राज्य की भांति फ्लड प्लेन एरिया का चिन्हीकरण कर नोटिफिकेशन जारी करने हेतु फ्लड प्लेन जोनिंग रिपोर्ट, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार कर जून 2019 में जमा की जा चुकी है एवं फ्लड प्लेन जोन घोषित करने हेतु नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अतिक्रमण हटाने एवं बायो डायवर्सिटी पार्क का चिन्हांकन कर उसे विकसित करने की कार्यवाही की जानी है।

DoM
CEO(C-2)
31/07/19

4. गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में मिलने वाली चिन्हित 86 ड्रेन्स की टैपिंग का कार्य जुलाई 2019 तक पूर्ण किया जाना था। उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 86 में से 59 ड्रेन्स आंशिक रूप से टैप्ड/अनटैप्ड है जिन्हें निर्धारित समयावधि में टैप किया जाना था परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके सम्बंध में मा0 एन0जी0टी0 में समयावधि बढाने हेतु अनुरोध शपथ पत्र सम्बंधित विभाग द्वारा दाखिल किया जाना है। समस्त अनटैप्ड नालों पर बार मेस की व्यवस्था स्थापित किया जाना शेष है।

3— मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2019 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्न निर्देश दिये गये :—

1. रनियॉ कानपुर देहात में डम्प हैजार्डस वेस्ट के निस्तारण एवं रेमिडियेशन हेतु मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 29.05.2019 के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वांछित डी0पी0आर0 निर्माण की धनराशि रूपये 10309422+टैक्स, एवं हैजार्डस वेस्ट डम्प को प्रथम चरण में In-situ site पर उपचारित किये जाने हेतु अनुमानित लागत रूपये 23.44 करोड़ के बजट की व्यवस्था अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की जाये। पर्यावरण विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार करायी गयी डी0पी0आर0 की प्रति औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही:—प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0)

2. जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा रनियॉ, कानपुर देहात स्थित हैजार्डस वेस्ट डम्प साइट स्थल को अधिग्रहीत करने की कार्यवाही कर शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जाये तथा प्रश्नगत भूमि के अधिग्रहण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा बजट की व्यवस्था कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही त्वरित रूप से करायी जाये।

(कार्यवाही:—जिलाधिकारी, कानपुर देहात, प्रबन्ध निदेश, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग)

3. सिंचाई विभाग द्वारा केन्द्रीय जल आयोग से समन्वय कर फ्लड प्लेन जोन को नोटिफाई करने हेतु टाईमलाइन निर्धारित कर कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही:—प्रमुख सचिव, सिंचाई)

4. सिंचाई विभाग द्वारा ई—फ्लो के सम्बंध में जारी अधिसूचना के अनुसार नदियों में आवश्यक ई—फ्लो बनाये रखने हेतु नियमित रूप से बैराज से जल छोड़ा जाये तथा इसके आंकड़े एम0एम0सी0जी, केन्द्रीय जल आयोग के साथ—साथ

प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में संकलित सूचना सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाहीः–प्रमुख सचिव, सिंचाई, प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

5. नगर विकास विभाग द्वारा समस्त 86 ड्रेन्स के उपचार हेतु की गयी कार्यवाही एवं इस हेतु आवश्यक समयावधि प्रदान किये जाने के अनुरोध हेतु राष्ट्रीय मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली से समन्वय स्थापित कर मा0 एन0जी0टी0 में शपथ पत्र दाखिल कर किया जाये।

(कार्यवाहीः–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग तथा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम)

6. राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 द्वारा फेज–2 (उन्नाव डाउनस्ट्रीम से बलिया तक) की कार्ययोजना तैयार कर एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(कार्यवाहीः–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/परियोजना निदेशक राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0)

7. मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 29.05.19 के अनुपालन में सम्बंधित विभागों यथा सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 जल निगम, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की स्टेटस रिपोर्ट विलम्बतम दिनांक 30.07.2019 तक अनिवार्य रूप से मा0 एन0जी0टी0 में शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल की जाये तथा उसकी प्रति पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जाये। पर्यावरण विभाग द्वारा दिनांक 04.08.2019 तक शपथ पत्र का आलेख्य तैयार कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन का अनुमोदन प्राप्त कर उसे मा0 अधिकरण में दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाहीः–अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, राजस्व तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

अन्त में सःधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

डॉ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
संख्या–एन.जी.टी.–330/81–7–2019–43(पर्या)/2014 टी0सी0–3
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
लखनऊ : दिनांक: 31 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/सिंचाई/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/राजस्व/गृह/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
2. परियोजना निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
4. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।